

भारत में बच्चों की समग्र स्थिति भारत में बच्चों और किशोरों की संख्या बहुत अधिक है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों का है। यह आयु वर्ग देश का भविष्य है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका जीवन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को उचित पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों और झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले बच्चे विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं।

अभी भी कई बच्चे स्कूल नहीं जाते या पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति और बाल यौन शोषण जैसी समस्याएँ भी बड़ी चिंता का विषय हैं। भारत में कई बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है।

हालाँकि सरकार ने कई योजनाएँ चलाई हैं जैसे **मिड-डे मील, आंगनवाड़ी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम**, लेकिन इनका लाभ हर बच्चे तक नहीं पहुँच पाता। समाज की मानसिकता भी बच्चों के प्रति हमेशा संवेदनशील नहीं रहती, जिससे उनका शोषण बढ़ जाता है।

अपराध सांख्यिकी — बच्चों द्वारा अपराध

किशोर अपराध या Juvenile Delinquency भारत में तेजी से बढ़ रही समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, हर वर्ष हजारों किशोर अपराध के मामलों में पकड़े जाते हैं। इनमें चोरी, जेबकटई, नशीली दवाओं की तस्करी, लड़ाई-झगड़ा, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएँ शामिल हैं।

किशोर अपराध के मुख्य कारणों में गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, माता-पिता की उपेक्षा, नशा और गलत संगति प्रमुख हैं। कई किशोर गिरोहों में शामिल होकर संगठित अपराध में भी लिप्त हो जाते हैं।

NCRB के अनुसार, अधिकतर अपराधी किशोर 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं।

किशोर अपराध की समस्या का समाधान केवल सजा देना नहीं है, बल्कि इन्हें सुधारने के लिए परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था करना आवश्यक है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 इसी उद्देश्य से बनाया गया है।

अपराध सांख्यिकी — बच्चों के विरुद्ध अपराध

भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध भी चिंताजनक स्तर पर हैं। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। बच्चों के खिलाफ अपराधों में अपहरण, बलात्कार, यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न, बाल विवाह और बाल श्रम प्रमुख हैं।

पोक्सो एक्ट (POCSO Act, 2012) जैसे कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बावजूद अपराध की संख्या में कमी नहीं आई है। सबसे दुखद पहलू यह है कि अधिकतर अपराध घर या परिचित लोगों द्वारा किए जाते हैं।

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान, चाइल्डलाइन हेल्प नंबर (1098), स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम जैसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोका जा सके और पीड़ित बच्चों को समय पर सहायता मिल सके।

निष्कर्ष

भारत में बच्चों और किशोरों की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और प्रेमपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। बच्चों द्वारा और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए परिवार, समाज, सरकार और कानून व्यवस्था — सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। तभी भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल होगा।